



Circular

Circular No: PFRDA/2022/27/ASP-EXIT/01

19th Oct 2022

To,
All the NPS stakeholders

Subject: Handling NPS corpus of deceased Subscribers meant for purchase of Annuity

The exit and withdrawals under NPS are handled as per the provisions of PFRDA (Exits and withdrawals under NPS) Regulations 2015 and amendments there under.

It is observed that in certain cases, the subscribers post availing lump sum had met with unfortunate death but before issuance of annuity and the amount meant for Annuity lie in CRA System. In such cases, the following are the guidelines which can be applicable to handle the corpus meant for issue of Annuity,

1. Government Sector subscribers:

The annuity shall mandatorily be purchased by the spouse (if any) providing annuity for life of the spouse with provision for return of purchase price (ROP). On demise the spouse, the annuity be re-issued to the family members in the order specified hereunder at the rate of premium prevalent at the time of purchase of the annuity, utilizing the purchase price required to be returned under the annuity contract until the family members in the order specified below are covered,

- (i) Living dependent mother of the deceased subscriber
- (ii) Living dependent father of the deceased subscriber

After the coverage of the family members specified above, the purchase price or the amount which was to be utilized for purchase of annuity shall be returned to the surviving children of the subscriber and in the case of absence of children, to the other legal heir(s) of the subscriber, as the case may be.

2. All citizen and Corporate subscribers:

Entire accumulated pension wealth paid to the nominees or legal heirs. However, the legal heirs or nominees if opted for can buy the annuity.

NPS Trust (NPST), POPs, Corporate and Nodal Officers can engage with all those claimants of those deceased Subscribers who have availed lump sum but not bought Annuity as per the provisions mentioned above.

NPS Trust informed to monitor the progress and engage with the respective nodal officers, Subscribers, POPs, corporate and stakeholders in order to ensure all pending death claims processed in a timely manner.

Chief General Manager

परिपत्र

परिपत्रसंख्या : पीएफआरडीए/2022/27/एएसपी-एक्जिट/01

19 अक्टूबर, 2022

प्रति,
एनपीएस के सभी हितधारक

विषय : वार्षिकी क्रय के लिए मृत अभिदाताओं के एनपीएस कॉर्पस का संचालन

एनपीएस के तहत निकासी और प्रत्याहरण को पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम 2015 के प्रावधानों और उसके अन्तर्गत संशोधनों के अनुसार संचालित किया जाता है।

कुछ मामलों में यह देखा गया है कि, वार्षिकी जारी करने से पहले ही एकमुश्त लाभ उठाने वाले अभिदाताओं की मृत्यु हो गई और वार्षिकी के लिए निर्धारित राशि सीआरए प्रणाली में ही निहित रह गई। ऐसे मामलों में, कॉर्पस को संचालित करके वार्षिकी जारी करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश लागू किए जा सकते हैं,

1. सरकारी क्षेत्र के अभिदाता :

खरीद मूल्य की वापसी (आरओपी) के प्रावधान के तहत पति/पत्नी (यदि कोई हो) के द्वारा उसके जीवन के लिए वार्षिकी खरीदना अनिवार्य होगा। पति/पत्नी की मृत्यु होने पर, वार्षिकी अनुबंध के तहत वापस करने के लिए आवश्यक खरीद मूल्य का उपयोग करते हुए, वार्षिकी की खरीद के समय लागू प्रीमियम की दर पर यहां निर्दिष्ट क्रम में परिवार के सदस्यों को तब तक वार्षिकी पुनः जारी की जाएगी जब तक नीचे निर्दिष्ट क्रम में परिवार के सदस्य मृत नहीं हो जाते,

- (i). मृत अभिदाता की जीवित आश्रित माता
- (ii). मृत अभिदाता के जीवित आश्रित पिता

वार्षिकी की खरीद के लिए प्रयोग की गयी राशि या खरीद मूल्य को उक्त क्रम में परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद अभिदाता के जीवित बच्चों को वापस कर दिया जाएगा। बच्चे ना होने के मामले में अन्य कानूनी उत्तराधिकारी(यों) को वापस कर दिया जाएगा।

- #### 2. सर्व नागरिक और कॉर्पोरेट अभिदाता :
- संपूर्ण संचित पेंशन राशि का भुगतान नामित व्यक्तियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाएगा। हालांकि, कानूनी उत्तराधिकारियों या नामित व्यक्तियों द्वारा वार्षिकी खरीदी जा सकती है, यदि चुने गए हों।

एनपीएस ट्रस्ट (एनपीएसटी), पीओपी, कॉर्पोरेट और नोडल अधिकारी ऐसे मृतक अभिदाताओं के उन सभी दावेदारों के साथ जुड़ सकते हैं जिन्होंने उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त लाभ उठा लिया हो, लेकिन वार्षिकी नहीं खरीदी हो।

सभी लंबित मृत्यु दावों का समय पर संसाधन सुनिश्चित करने के लिए प्रगति की निगरानी करने और संबंधित नोडल अधिकारियों, अभिदाताओं, पीओपी, कॉर्पोरेट और हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए एनपीएस ट्रस्ट को सूचित किया जाता है।

मुख्य महाप्रबन्धक